बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(स्थापना शाखा)

बिहार सरकार

दूरभाष सं0– 06189 – 223241 (O)
फैक्स सं0– 06189 – 223301
E-mail - dm-bhabhua.bih@nic.in
E-mail - edckaimur@gmail.com

आदेश संख्या–163/2019–20

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक– 816/पं0 दिनांक 11.04.2017 द्वारा मो0 औरंगजेब अली, लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ प्रतिनियुक्त जिला पंचायत शाखा, कैमूर को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में इस कार्यालय के पत्रांक– 602/स्था0 दिनांक 05.06.2017 द्वारा श्री अली से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी, जिसके आलोक में श्री अली द्वारा दिनांक 17.06.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में इस कार्यालय का पत्रांक– 833/स्था0 दिनांक 28.07.2017 के द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कैमूर से मंतव्य की मॉग की गयी।

उक्त के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक– 1026/पं0 दिनांक 13.11.2017 के द्वारा मंतव्य दिया गया है कि श्री अली द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है। तद्पोरान्त इस कार्यालय के पत्रांक– 1492/स्था0 दिनांक 30.12.2017 के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अनुशासनहीनता के आरोप में, श्री अली के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र "क" में गठित कर, साक्ष्य सहित चार प्रति में उचित माध्यम से मॉग की गयी। तद्पोरान्त जिला पंचायत पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर द्वारा मो0 अली के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र "क" को अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ के पत्रांक– 135/स्था0 दिनांक 09.06.2018 से अनुमोदनोपरान्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराया गया।

प्राप्त प्रपत्र "क" में आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए श्री अली के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत इस कार्यालय के आदेश संख्या–112/2018–19 ज्ञापांक– 1189/स्था0 दिनांक 20.09.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक– 46/पं0 दिनांक 18.01.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री औरंगजेब अली, लिपिक अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ प्रतिनियुक्त जिला पंचायत शाखा, कैमूर का पदस्थापन अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ में है। अतः उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ को मनोनित करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या– 213/2018–19 ज्ञापांक–331/स्था0 दिनांक 23.02.2019 द्वारा श्री सुमन कुमार, प्रभारी अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, कैमूर को संचालन पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदनः–

प्रभारी अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, कैमूर–सह–संचालन पदाधिकारी, के पत्रांक– 86 दिनांक 12.09.2019 द्वारा मो0 औरंगजेब अली, लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ प्रतिनियुक्त जिला पंचायत शाखा, कैमूर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत हैः–

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>आरोप की विवरणी
प्रपत्र "क" के बिन्दु</th><th>आरोपी का स्पष्टीकरण</th><th>उपस्थापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं मंतव्य</th><th>संचालन पदाधिकारी का मंतव्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री औरंगजेब अली, पिता–स्व0 कलामुद्दीन राय, जीप चालक, प्रखण्ड कार्यालय नुआंव की नियुक्ति तृतीय वर्ग श्रेणी में अनुकम्पा के आधार पर पुनरक्षित वेतनमान PB-1-5200-20200+1900 में जिलाधिकारी, कैमूर के आदेश ज्ञापांक 1107/स्था0, दिनांक–25.07.2015 द्वारा की गई है। नियुक्ति के पश्चात् श्री अली द्वारा दिनांक–03.08.2015 को जिला स्थापना शाखा में योगदान दिया गया। पुनः स्थापना उप समाहर्त्ता, कैमूर के ज्ञापांक 1253/स्था0, दिनांक–28.08.2015 द्वारा अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ में पदस्थापित करते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक–01.09.2015 को श्री अली द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में योगदान दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ के प्रतिवेदनानुसार स्थापना उप समाहर्त्ता, कैमूर के ज्ञापांक 1281/स्था0, दिनांक–02.09.2015 से अगस्त 2015 का अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराया गया जिसमें दिनांक–03.08.2015 से 18.08.2015 तक हीं उपस्थिति अंकित किया गया है।

जिला पंचायत कार्यालय में योगदान के पश्चात् श्री अली निम्नांकित तिथियों को बिना किसी सूचना के अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहें। अनुपस्थिति विवरणी अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ को निम्नलिखित पत्रों द्वारा प्रेषित किया गया है।
<table>
<tr><th>क्र</th><th>पत्रांक/दिनांक</th><th>अनुपस्थिति अवधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>279/पं0
06.11.2015</td><td>28.10.2015 से 31.10.2015</td></tr>
<tr><td>2</td><td>07/पं0,
01.01.2016</td><td>06.11.2015, 20.11.2015, 14.11.2015, 21.11.2015 से 28.11.2015, 01.12.2015 से 12.12.2015, 16.12.2015 से 31.12.2015</td></tr>
</table></td><td>मैं औरंगजेब अली, लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ प्रतिनियुक्त जिला पंचायत शाखा, कैमूर के पद पर पदस्थापित हूँ। पिता– स्व0 कलामुद्दीन राय के मरणोपरान्त अनुकम्पा पर मेरी नियुक्ति हुई है तथा अपनी बुढ़ी मॉ जो लगभग 12 वर्षों से अनेकों प्रकार के गंभीर बिमारियों से ग्रस्त है, का एकलौता संतान हूँ तथा मुझे भी कई प्रकार की बिमारियों एवं दुर्घटना पश्चात् शारीरिक समस्याऍ उत्पन्न हो गई है, जिसके संबंध में चिकित्सीय प्रमाण पत्रों के माध्यम से पूर्व में ही कार्यालय स्थापना शाखा को सूचित किया गया है। ससुराल के लोगों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी के डर से मैं</td><td>श्री औरंगजेब अली, लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ प्रतिनियुक्त जिला पंचायत शाखा, कैमूर से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर श्री औरंगजेब अली निरंतर बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहते है, जो लापरवाही, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है, जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।</td><td>अभिलेख में उपलब्ध आरोप पत्र, आरोपी कर्मी का अभिकथन, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया। आरोपी कर्मी पर बिना किसी सूचना के भिन्न–भिन्न तिथियों को अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरी पत्नी को रखे जाने का आरोप है। आरोपी कर्मी द्वारा अपने अभिकथन में मॉ के गम्भीर बिमारियों से ग्रसित होने तथा स्वयं भी कई प्रकार की बिमारियों एवं दुर्घटना पश्चात् शारीरिक समस्या उत्पन्न होने की बात कही गयी है। दूसरी पत्नी रखे जाने के संबंध</td></tr>
</table>

	3	70 / पं0, 02.02.2016	01.01.2016 से 31.01.2016	भागा–भागा फिर रहा था। जिसकी सूचना पूर्व में तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोद्य को दी गयी है। पिता के जीवन काल में ही मेरी शादी हुई थी तथा शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे घर आयी, लेकिन चार दिन बाद ही वो मायके अपने पिता के साथ चली गई, उस समय मेरे पिता गम्भीर असाध्य रोगों से ग्रसित थे, जिनकी असाध्य मृत्यु हो गई।		में कहना है कि अपनी पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के धमकियों एवं उनके कुकृत्यों के संबंध में आरोपी का कथन है कि मनोदशा बहुत खराब थी एवं गुस्से के कारण गलत नाम राखी बेगम लिखवा दिया। उपस्थापन पदाधिकारी –सह–अनुमण्डल पदा0, भभुआ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री औरंगजेब अली निरंतर बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहते है, जो लापरवाही, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है तथा श्री अली द्वारा भूलवश Employee Information System के डाटा बेस में राखी बेगम नाम अंकित होने की
	4	199 / पं0, 10.03.2016	01.02.2016 से 29.02.2016			
	5	345 / पं0, दिनांक– 06.04.2018	01.03.2016 से 02.03.2016			
	6	737 / पं0, दिनांक– 31.08.2017	09.07.2016 एवं 11.07.2016			
	7	736 / पं0, दिनांक– 31.08.2016	09.08.2016, 23.08.2016 एवं 29.08.2016 से 30.08.2016			
	8	893 / पं0, दिनांक– 05.12.2016	27.10.2016, 31.10.2016, 04.11.2016 से 05.11.2016, 14.11.2016, 17.11.2016 से 19.11.2016 तथा 22.11.2016			
	9	9 / पं0, दिनांक– 10.01.2017	08.12.2016 से 20.12.2016 एवं 31.12.2016			
	10	265 / पं0, दिनांक– 25.03.2017	01.01.2017 से 28.02.2017			
	11	527 / पं0, दिनांक– 26.05.2017	01.03.2017 से 30.04.2017			
	12	527 / पं0, दिनांक– 26.05.2017	01.05.2017 से 25.05.2017			
	13	705 / पं0, दिनांक– 01.08.2017	26.05.2017 से 25.07.2017			
	14	961 / पं0, दिनांक– 09.10.2017	26.07.2017 से 09.08.2017 एवं 18.09.2017			
	15	1076 / पं0,दिनांक– 07.12. 2017	03.10.2017, 20.10.2017, 25.10.2017, 28.10.2017, 03.11.2017, 04.11.2017, 06.11.2017, 09.11.2017, 11.11.2017 एवं 17.11.2017 से 25.11.2017			
	16	40 / पं0, दिनांक– 19.01.2018	26.11.2017 से 30.11.2017, 06.12.2017 से 11.12.2017, 13.12.2017, 18.12.2017, 23.12.2017			

<table>
<tr><td></td><td></td><td>17</td><td>104/पं0, दिनांक–06.02.2018</td><td>26.12.2017,08.01.2018 से 20.01.2018 एवं 25.01.2018</td><td></td><td></td><td>बात को स्वीकार की गयी है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल है। आरोपित कर्मी के विरूद्ध विभिन्न तिथियों में अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित होता है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="4">अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ के पत्रांक 100/स्था0, दिनांक–26.04.2018 से प्राप्त सूचना के अनुसार आपने वेतन भुगतान हेतु Employee Information System के तहत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दाखिल किया जिसमें पत्नी का नाम राखी बेगम दर्ज किया गया। लेकिन जिला पदाधिकारी, कैमूर का ज्ञापांक 857/स्था0, दिनांक–08.08.2016 एवं 1358/स्था0, दिनांक–31.12.2016 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आपकी पत्नी का नाम हिना कौशर, पुत्री मो0 कलीम, ग्राम+पो0+थाना–चाँद जिला–कैमूर (भभुआ) है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी पत्नी रखे हुए हैं।
इस प्रकार आपका उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के संगत प्रावधानो के प्रतिकूल है, जो दण्डनीय अपराध है।</td><td>घर का एकलौता सदस्य होने के कारण मेरी काफी जिम्मेवारी बढ़ गई थी। क्योंकि दोनो ही गंभीर बिमारियों से ग्रसित थे, जिसके संबंध में भी पूर्व में लिखित सूचना दे चुका हूँ।
मेरी पत्नी हीना कौशर द्वारा मेरे घर आने को तैयार नहीं होती थी तथा मेरी पत्नी के पिता सूरत (गुजरात) में रहते थे और मुझे भी सूरत ही ले जाना चाहते थे। परन्तु मैं अपने बिमार माता–पिता को छोड़कर जाने में असमर्थ था जिसके कारण तनाव बढ़ता गया तथा इसी बीच मेरे पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के उपरान्त हीना कौशर मेरे घर आयी और गलत मनगढ़ंत आरोप लगाकर दबाव बनाने के लिए मुझे दहेज अधिनियम में</td><td>श्री औरंगजेब अली द्वारा विहित प्रपत्र में Employee Information System के तहत आवेदन पत्र में पत्नी का नाम राखी बेगम अंकित है। तत्पश्चात हिना कौशर का परिवाद पत्र प्राप्त हुआ। उक्त परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आलोक में श्री अली से कारण–पृच्छा की मॉग की गई। श्री अली द्वारा भूलवश डाटा बेस में राखी बेगम नाम अंकित होने का आवेदन दिया गया। उक्त परिवाद पत्र में वर्णित हिना कौशर के बातों का बल मिलता है, जो एक सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रतिकूल है।</td><td>Employee Information System में पत्नी हीना कौशर के स्थान पर राखी बेगम का उल्लेख करना यह दर्शाता है कि उनकी मंशा सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी गुस्सा में क्यों नही हो, जानबुझकर पत्नी का नाम गलत दर्ज नही करेगा। अतः आरोप संख्या–02 भी प्रमाणित होता है।
अतः आरोपित कर्मी मो0 औरंगजेब बली के विरूद्ध उक्त</td></tr>
</table>

		फँसाने वो जान मारने की धमकी उसके परिवार वाले देने लगे तथा अनेक प्रकार से शारीरिक वो मानसिक रूप से परेशान करने लगे, जिसके कारण मेरे द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी, कैमूर वो श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कैमूर के यहॉ आवेदन दिया गया। अनुकम्पा पर जब मेरी नियुक्ति हुई उस समय मैं अपनी पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के धमकियों एवं उनके कुकृत्यों के कारण मेरी मनोदशा बहुत खराब हो गयी थी एवं गुस्से के कारण गलत नाम राखी बेगम लिखवा दिया, जबकि इस नाम की लड़की से मेरा कोई संबंध नहीं है और किसी अन्य लड़की से कोई संबंध कभी नहीं रहा है। इसी बीच जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के		दोनों आरोप प्रमाणित पाये गये।

		ज्ञापांक– 1215/स्था0 दिनांक 17.08.2015 के द्वारा मेरी प्रतिनियुक्ति दिनांक 17.08.2015 से 31.08.2015 तक के लिए कार्यालय अधीक्षक प्रकोष्ठ, कैमूर में हुई थी, जहॉ मैं उपस्थित होकर अपना कार्य सफलतापूर्वक किया था। जिसकी उपस्थिति विवरणी से स्पष्ट हो जाएगा। मैं सत्य निष्ठा ईमानदारी से अपने कार्यों का निष्पादन करने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन माता के असाध्य रोगों एवं खुद के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण ससमय अज्ञानतावश मेरे कार्यों में कोई त्रुटी पाई जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जबकि मेरे द्वारा जानबुझकर अपने कार्यों में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, तथा मैं निर्दोष हूँ।		

संचालन पदाधिकारी के उपर्युक्त प्रतिवेदन में आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र "क" में गठित दोनों आरोप प्रमाणित पाए गए है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक–1294/स्था0 दिनांक 11.10.2019 द्वारा श्री अली से अपने बचाव में द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी।

मो0 अली द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नई बात का उल्लेख नहीं किया गया है। आरोपी कर्मी का द्वितीय कारण पृच्छा मात्र अपने कृत्यों को छुपाने का प्रयास मात्र है। अतएव द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप मो0 अली को वृहद दण्ड देना अनिवार्य हो गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन, आरोपी कर्मी का द्वितीय कारण पृच्छा तथा उपलब्ध साक्ष्यों के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए **मैं डॉ0 नवल किशोर चौधरी, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता–सह– जिलाधिकारी, कैमूर** बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियम 14 (XI) में निहित शास्तियों के आलोक में **मो0 औरंगजेब अली, लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ प्रतिनियुक्त जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismissal From Service) करता हूँ।**

मो0 औरंगजेब अली, लिपिक से संबंधित विवरणी निम्नवत है:–

1.	कर्मचारी का नाम	:–	मो0 औरंगजेब अली,
2.	पिता का नाम	:–	स्व0 क्यामुद्दीन राय,
3.	पद का नाम	:–	लिपिक,
4.	जन्म तिथि	:–	13.03.1989
5.	नियुक्ति की तिथि	:–	03.08.2015
6.	सेवानिवृति की तिथि	:–	31.03.2049
6.	वेतनमान	:–	5200–20000
8.	ग्रेड पे	:–	1900
9.	कार्यालय का नाम	:–	अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ प्रतिनियुक्त जिला पंचायत शाखा, कैमूर
10.	स्थायी पता	:–	ग्राम– मोहनियां, पोस्ट– मोहनियां, थाना– मोहनियां, जिला– कैमूर

ह0/-
जिलाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– XXVII-10-20/................/ स्था॰ दिनांक......................

प्रतिलिपिः– मो0 औरंगजेब अली, लिपिक, अनुमण्डल कार्यालय, भभुआ प्रतिनियुक्त जिला पंचायत कार्यालय, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/

जिलाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– XXVII-10-20/394/ स्था॰ दिनांक 18-3-2020

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, कैमूर/जिला वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता प्रभारी, विभागीय जॉच शाखा, कैमूर–सह–संचालन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता, कैमूर/उप विकास आयुक्त, कैमूर/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कैमूर/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, कैमूर/वरीय कोषागार पदाधिकारी, कैमूर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, कैमूर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(आई0सी0डी0एस0), कैमूर/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, कैमूर/सिविल सर्जन, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अधिरोपित दण्ड की प्रविष्टि मो0 अली के सेवापुस्त में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, कैमूर को सूचनार्थ एवं जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी/आई0टी0 प्रबंधक, कैमूर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी विभाग के कार्यालय प्रधान, कैमूर जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कैमूर जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

17.3.20

जिलाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)